Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi
E-Mail Address
cenvigil@nic.in
Website
www.cvc.nic.in
EPABX
011-24600200
फैक्स / Fax :
011-24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं./No. 024/वीजीएल/081

दिनांक / Dated. दिनांक: 01.08.2024

परिपत्र संख्या 08/08/24

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 का अनुपालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से निपटने के अपने अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में कई रणनीतियाँ अपनाता है। `**सतर्कता जागरूकता सप्ताह**` का अनुपालन, जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निवारक सतर्कता के प्राथमिक उपायों में से एक है तथा लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन उस सप्ताह में करता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इस वर्ष, आयोग ने निर्णय लिया है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 निम्न मूल कथ्य पर दिनांक 28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा :

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"
"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 आरंभ होने से पहले, आयोग यह चाहता है कि सभी संगठन निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारक सतर्कता पर **16 अगस्त 2024 (शुक्रवार) से 15 नवंबर 2024 (शुक्रवार) तक तीन माह का अभियान** चलाएं :

क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
ग) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण
घ) 30.06.2024 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान
ङ) सक्रिय डिजिटल विद्यमानता

3. सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन, अभियान के दौरान विचारणीय परिणाम लाने के लिए सभी संबंधितों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तीन माह की अभियान अवधि के दौरान, पाँच निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में जिन्हें ध्यान केंद्रित किए गए क्षेत्रों के रूप में लिया जाना है, पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा **अनुबंध 'क'** में संलग्न प्रारूप के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को **30 नवंबर 2024** तक भेज दी जाए।

4. यह सूचना आयोग की वेबसाइट **http://www.cvc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह०/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति,

i) भारत के कैबिनेट सचिव
ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
iii) सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
iv) निदेशक, सीबीआई
v) प्रवर्तन निदेशक
vi) सभी सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / सोसाइटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
vii) मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / सोसाइटियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी